## कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- एम0ई0-3/2019/755

दिनांक 🍳 / अप्रैल, 2019

## यू०पी० नीट पी०जी०- 2019 हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या— 8616(एम०एस०) / 2019 डा० जितेन्द्र गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 01.04.2019 को आदेश पारित किये गये है, जिसका सुसंगत अंश निम्नवत है:--

48. The result after following the above judgment of the Hon'ble Supreme Court, is that the Clause 3 (Kha) of the Government Order dated 09/03/2019 and Clause 2 of the eligibility criteria as published in the Uttar Pradesh counseling brochure issued by respondent number 2 is quashed, and the parties are at liberty to proceed with the counseling of the candidates selected through NEET PG 2019 for admission to the State quota of seats of Postgraduate MD/MS/MDS courses in various Government and Private Medical / Dental Colleges / Institutions / State University and PG Diploma Courses etc. on the basis of merit list prepared as per Clauses (1), (3), (4), (5) and (6) of the Eligibility for Admission as per the schedule detailed in the Uttar Pradesh Counseling Brochure.

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नीट पी0जी0 2019 के ब्रोशर में प्रवेश के सम्बन्ध में दी गयी अर्हता (Eligibility for Admission) के बिन्दु- 1, 3,

4, 5 व 6 के अनुसार कांउसिलिंग की कार्यवाही की जाएगी।

ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक सिक्योरिटी फीस नहीं जमा की है वो दिनांक 02.04.2019 तक अपनी सिक्यारिटी फीस जमा कर सकते है।

पथम चक की काउसिलिंग के लिए संशोधित च्वाईस फिलिंग की तिथि

पूर्व निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
02-04-2019 (11:30 AM) to 04.04.2019 03	-04-2019 (01:00 PM) to 05.04.2019

C.S.

महानिदेशक